

## न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी  
बनाम

अप्रार्थी :- श्री रामनाथ पुत्र शंकरनाथ निवासी मालासगुसाईया  
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956  
प्रकरण संख्या 71/17


निर्णय दिनांक 02/11/2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मालासगुसाईया के ख.न 739 रकबा 0.128 है. भूमि किस्म रास्ता में ग्वार की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को उपस्थित हुआ लेकिन कोई जबाब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रुपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.128 है. भूमि के 0.64 रुपये लगान का 50 गुणा 32/- अक्षरे बत्तीस रुपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई गई ग्वार की फसल को भू.अ. निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा कुर्क कर निलाम की गई जिसमें अन्तिम बोली रुपये 260/ अक्षरे दो सौ साठ रुपये श्री सेवानाथ पुत्र रामनाथ निवासी मालासगुसाईया की रही जो स्वीकृत की गई जुर्माना एवं फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एवं भू.अ. निरीक्षक रोहिण्डी को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

  
तहसीलदार परबतसर

पत्रावली संख्या 17-17  
पत्रावली संख्या 32-17-17-17-17-17  
पत्रावली संख्या 260-17-17-17-17-17

  
तहसील राजस्व लेखाकार